

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला- बेमेतरा (छ.ग.)

क्र./श्र.पदा./ब.श्र./2012/51
69

बेमेतरा, दिनांक - 2-11-12

आदेश

बंधक श्रम पद्धति (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (1) के तहत जिला सतर्कता समिति जिला बेमेतरा का गठन किया जाता है।

1. जिला दण्डाधिकारी, बेमेतरा
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
 1. श्री राजकुमार ठाकुर, बेमेतरा
 2. श्री चन्द्रिका नवरंग, बेरला
 3. श्रीमती चमेली ध्रुव, नवागढ़
3. सामाजिक कार्यकर्ता
 - (1) श्री लवकुश सिन्हा, ग्राम- मोहरेंगा, बेरला
 - (2) श्री गौकरण धीवर, ग्राम- बांसा, बेरला
4. ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि --
 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा
 2. श्री दया दास बंजारे, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत, बेमेतरा
5. वित्तीय एवं प्रत्यय संस्थानों का प्रतिनिधि
 1. जिला लीड बैंक अधिकारी, जिला-बेमेतरा
 2. प्रभारी अधिकारी (बंधक श्रमिक शाखा) कलेक्टोरेट, बेमेतरा

कार्यालय, श्रम आयोग
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
आवक अध्यक्ष 1767
दिनांक 19 DEC 2012
शुभ

No. 2088 / A/S
P SEC - Labur
Date 17-11-12

Handwritten signature and initials.

3
19/12/12

पृ.क्र./श्र.पदा./ब.श्र./2012/52
प्रतिलिपि -

बेमेतरा, दिनांक - 2-11-12

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Handwritten signature
जिला-दण्डाधिकारी
जिला- बेमेतरा (छ.ग.)